सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 347/2016

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

मांग्या पुत्र लादू जाति बलाई निवासी घटियाली, तहसील व थाना सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. भूरी पत्नि सूरजमल
2. अम्बालाल पुत्र सूरजमल जाति माली
   निवासीगण घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर
3. तहसीलदार सावर जिला अजमेर राज.
4. उपपंजीयक सावर जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः– 10.05.2018**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प घटियाली में पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–2072 में खाता स. 918 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 392 रकबा 1.12 हैक्ट किस्म बारानी प्रथम का पेश कर निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात वादी के स्वयं के खातेदारी एव कब्जे काश्त आधिपत्य की आराजीयात है। वाद वर्णित आराजीयात वादी के स्वयं के खातेदारी में होने से प्रतिवादीगण 1 व 2 ने खरीदने का सौदा किया एवं वादी जो कि अनुसूचित जाति व अनपढ़ व वृद्ध काश्तकार से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लेन देन हेतु एवं आराजियात को हडपने पर आमादा है जबकि उक्त आराजीयात पर वादी पर वादी ही काबिज काश्त है। एवं वादी के अलावा प्रतिवादीगण या किसी दीगर व्यक्ति का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही है। राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी में भी वादी का ही नाम बहेसियत खातेदार काश्तकार दर्ज हे। प्रतिवादीगण 1 व 2 दिनांक 01.09.2016 को अन्य व्यक्तियों के साथ वादी की बाई हुई फसल को नष्ट–भ्रष्ट करने, वादी को जबरन बैदखल कर कब्जा करने के लिए ऐलानिया धमकी दी कि उक्त आराजियात पर हमने रूपान्तरण करवा लिया है एवं तेरे से हमारे नाम भी विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा लिया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं उनके उत्तराधिकारी, एजेंट, हाली, सीरी, नोकर इत्यादि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी की वाद वर्णित आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप, दखलन्दाजी एवं हस्तांतरित नही करने का वादी द्वारा वादप्रत्र में निवेदन किया है। वाद स्वीकार फरवाया जावें।

वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली में प्रतिवादीगण 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत ने पावर पेश किया । प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठितधारा 151 जा.दी. का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात में जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या 918 खसरा नम्बर 392 में वादी वादग्रस्ता आराजी का अकेला खातेदार है । प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार नही है ना ही प्रतिवादीगण के हक हिस्से का कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वाद ग्रस्त आराजी जमाबन्दी संवत 2069–72 में वादी के स्वयं के नाम दर्ज खातेदारी होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस बनता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर के जमाबन्दी स0 2069–72 के खाता स. 918 में दर्ज खसरा नम्बर 392 रकबा 1.12 हैक्ट भूमि में वादी को खातदेार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की वादग्रस्त आराजी में उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगें ,एवं न ही हस्तान्तरित रहन बेचान आदि करें । *पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।*

निर्णय आज दिनांक 10.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी